संख्या–2245/81–2–2022–800(123)/2021

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षण (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 **लखनऊ दिनांक** 24 **अगस्त, 2022**

विषय– चौधरी चरण सिंह, कांवड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–एफपी/यूपी/रोड/121197/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–08बी/यूपी/06/221/2021 / एफसी/321 दिनांक 08.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियां की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–665/11–सी–एफपी/यूपी/रोड/121197/2021 दिनांक 24.08.2022 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 24.08.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/अभिलेख की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

Jun 17, 2022, 01:18